

डिग्री बमुकदमें ईबाबाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं सपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:—300/2020

टिब्बी।

1. प्रिंस पुत्र कुलदीप कुमार } पि० बृजलाल जाति जाट निवासी सहारणी तहसील
 2. नितिन पुत्र जगदीश झोरड़ } टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण



बनाम

1. कुलदीप पुत्र बृजलाल } जाति जाट निवासीयान सहारणी तहसील टिब्बी जिला
 2. शुभम पुत्र जगदीश } हनुमानगढ।
 3. विमला पत्नी जगदीश }
 4. सुमित्रा पुत्री बृजलाल पत्नी मनीराम तरड़ जाति जाट निवासी संगरिया तहसील
 संगरिया जिला हनुमानगढ।
 5. शिल्पा पत्नी संजय विशू पुत्री कुलदीप जाति जाट निवासी हनुमानगढ तहसील व
 जिला हनुमानगढ।
 6. शालिनी पत्नी धीरज पुत्र कुलदीप जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा
 जिला हनुमानगढ।
 7. सिवानी पत्नी इन्द्रपाल पुत्री कुलदीप जाति जाट निवासी अराईयावाली तहसील व
 जिला हनुमानगढ।
 8. सीतादेवी पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला
 हनुमानगढ।
 9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्तु
 इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जाभिन
 मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है
 व डिग्री दी जाती है कि क.वादीसं० 1 प्रिंस को चकनं० 5 सीडीआर के खाता सं० 12 में
 अंकित कुल 10.120 है० में से प्रतिवादीया सं० 3 विमला देवी के 1/6 हिस्सा प्रतिवादी
 सं० 2 शुभम के 1/6 हिस्सा में से .590 है० ख.वादीसं० 2 नितिन को चक 6 सीडीआर
 के प०न० 231/239 मु० 32 किलानं० 25/1/.228, 25/2/.025 है० खाला, 16/1/
 .228, प०न० 232/239 मु० 33 किलानं० 10,11,20,21, ग.प्रतिवादीसं० 2 शुभम को
 चकनं० 6 सीडीआर के प०न० 231/241 मु० 56 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 है०
 रास्ता, 2/1/.228, 2/2/.025 है० रास्ता, 3/1/.228, 3/2/.025 है० रास्ता,
 4/1/.228, 4/2/.025 है० रास्ता, प०न० 230/241 मु० 55 किलानं० 5/1/.228,
 5/2/.025 है० रास्ता घ.प्रतिवादीया सं० 3 विमलादेवी को चक 5 सीडीआर के
 खातासं० 43/45 में 1.265 है० तथा चकनं० 6 सीडीआर के प०न० 230/240 मु० 36
 किलानं० 6/1/.228, 6/2/.025 है० खाला, 13,14, 15/1/.228, 15/2/.025 है०
 खाला, 16/1/.228, 16/2/.025 है० खाला, 25/1/.228, 25/2/.025 है० खाला,
 प०न० 231/240 मु० 35 किलानं० 10,11,20,21,22 के खातेदार काश्तकार घोषित किये
 जाकर वादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की
 जाकर चकनं० 5 सीडीआर के खाता सं० 43/45 में से कुलदीप, नितिन,शुभम, सुमित्रा
 कानाम कलमजन, चकनं० 5 सीडीआर के खाता सं० 12/73 में से प्रतिवादीया सं० 3
 विमलादेवी का नाम कलमजन तथा शुभम का हिस्सा कम, चकनं० 6 सीडीआर के खाता

कलक्टर
 सपखण्ड अधिकारी
 टिब्बी

सं० 97 में से कुलदीप, विमला, शुभम, सुमित्रा का नाम कलमजन चकनं० 6 सीडीआर के खाता सं० 154 में से विमलादेवी व शुभम का नाम कलमजन तथा चक 6 सीडीआर के खाता सं० 96 में से कुलदीप, नितिन, सुमित्रा का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....X...निल.....X...मुक्लिक...X...निल.....X...बाबत.....X...निल.....X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.12.2020 को जारी किया गया।



Maangilal

(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, डिन्डोरी
दिन्डोरी